न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2022-299(GCMS2022-517)

1. श्रवण पुत्र अनोपाराम जाट
   निवासी गोरछीया का बेरा,
   तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
2. श्रवणराम पुत्र गुलाबाराम सुथार
3. दिनेश पुत्र गुलाबाराम सुथार
   निवासीगण ग्राम आऊ
   तहसील बापिणी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. नेनाराम पुत्र भोजाराम दर्जी
2. जवरीलाल पुत्र भोजाराम दर्जी
   निवासीगण ग्राम आऊ
   तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
3. जशोदा पत्नी बाबूलाल दर्जी
4. हनुमानराम पुत्र पनाराम दर्जी
5. खींयाराम पुत्र पनाराम दर्जी
   निवासीगण ग्राम आऊ
   तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
6. भीखमचन्द पुत्र रूपचन्द जैन (टाटिया)
7. चम्पालाल पुत्र चुन्नीलाल दर्जी
   निवासीगण ग्राम आऊ
   तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
8. सहायक अभियन्ता
   जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
   लोहावट
9. तहसीलदार बापिणी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट दिनांक 16 दिसम्बर 2020 प्रकरण संख्या 639/2020 अनवान नेनाराम बनाम जसोदा आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री गिरधरसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री प्रकाश पंवार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 9
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 25 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 639/2020 अनवान नेनाराम बनाम जसोदा आदि में पारित आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2020 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 नवम्बर 2022 को प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थनापत्र भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत पेश किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र पस्तुत कर आराजी खसरा संख्या 144/2 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 144 वाके ग्राम आऊ बाबत मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र संस्थित करते हुए दिनांक 16 दिसम्बर 2020 को इकतरफा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। साथ ही अप्रार्थी-रेस्पो. सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लोहावट को अप्रार्थी-अपीलाण्ट श्रवण के पक्ष में विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आउ स्थित आराजी खसरा संख्या 144/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 4 हनुमानराम तथा रेस्पो. संख्या 5 खींयाराम की संयुक्त खातेदारी की भमि है, खसरा संख्या 144 रकबा 41 बीघा रेस्पो. संख्या 6 भीखमचंद की खातेदारी भूमि है, खसरा संख्या 144/2 रकबा 8 बीघा 10 बिस्व भूमि के रेस्पो. संख्या 1, 2, 3 व अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 खातेदार है, जिनमें से अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलाण्ट संख्या 1 श्रवण के पक्ष में बेचान कर दिया है, खसरा संख्या 144/3 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा रेस्पो. संख्या 7 चम्पालाल की खातेदारी भूमि है। मौके पर सहखातेदारान के मध्य बंटवारा हो रखा है और सभी अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलाण्ट संख्या एक द्वारा अपने हिस्से एवं खातेदारी की भूमि पर ट्युबवेल स्थापित किया हुआ है और टांके एवं ढाणी आदि भी निर्मित है। खसरा संख्या 144/2 की भूमि में रेस्पो. संख्या एक व दो का ½ हिस्सा ही है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भूमि बाबत इकतरफा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी। विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हो गये, मगर विचारण न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत पुनः कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अपने के हक-हिस्से भूमि में निर्मित ट्युबवेल बाबत विधुत कनेक्शन हेतु जोधपुर विधुत वितरण निगल लि. द्वारा जारी डिमाण्ड नोट के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा राशि भी जरिये रसीद संख्या 6200/29 दिनांक 16 जून 2022 को जमा करवायी जा चुकी है। मगर अपीलाधीन आदेश के कारण उसके लिए विधुत कनेक्शन नहीं हो पाने की वजह से अपीलाण्ट को गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

क्षति हो रही है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश इकतरफा पारित किया गया, जिसके संबंध में जानकारी होने पर विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से जबाब-प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया, फिर भी आदिनांक तक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ओर पेशी-दर-पेशी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की अवधि बढायी जा रही है। जिससे अपीलाण्ट को निरन्तर अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के खिलाफ आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी होने की कोई दिनांक एवं जरिया प्रकट नहीं किया गया है। अतः इसी आधार पर आलौच्य अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट संख्या एक ने विधुत कनेक्शन प्राप्त होने के पूर्व ही खसरा संख्या 144/2 पर ट्युबवेल खुदवाया, जो हमारे हिस्से की भूमि पर है। अतः अपील खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ट्युबवेल निर्मित करवा लिया जाना प्रकट होता है, जिसके लिए विद्युत कनेक्शन के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगल लि. द्वारा जारी डिमाण्ड नोट के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा राशि भी जरिये रसीद संख्या 6200/29 दिनांक 16 जून 2022 को जमा कराया जाना जाहिर करते हुए बरवक्त बहस अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त रसीद की छायाप्रति पेश की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इकतरफा अपीलाधीन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के बाद अपीलाण्ट्स की ओर से विचारण न्यायालय से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया जाना भी विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका 21 सितम्बर 2021 से प्रकट होता है। तब से वर्तमान तक विचारण न्यायालय द्वारा मूल स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत पक्षकारान की सुनवाई कर कोई आदेश पारित नहीं कर मात्र पेशी-दर-पेशी अपीलाधीन इकतरफा अंतरिम स्थगन आदेश की अवधि बढायी जाने से अपीलाधीन आदेश के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाने की वजह से अपीलाण्ट द्वारा अपने निर्मित ट्युबवेल का सिंचाई आदि हेतु उपयोग नहीं कर पाने से अपीलाण्ट को होने वाली गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार करते हुए आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और रेस्पो. 8 सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लोहावट को अपीलाण्ट श्रवण के पक्ष में नियमानुसार विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत न्यायालय द्वारा पारित इकतरफा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2020 यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाता है कि उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का नियमानुसार शीघ्र एवं न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर